107 द०प्र०स०

①

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी,

चौधरी महतो
बनाम
फुरगना महतो

M-49/2017

आदेश पत्रक

15/6/17

अभिलेख संख्या :– एम. 49 / 2017, धारा :– 107 द.प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :– 19/17

....

204
15/6/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :–

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मै .... अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरूद्व सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रूपये का बंध –पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :– 29/6/17 को उपस्थापित करें ।

15/6/17

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

21/11/17 विपक्षी के एक मलेरल आवेदन के साथ उपस्थित

पुकार (प्रतिपक्षी अनुपस्थित) पुनः दिनांक 12.12.17 को

S/C सर्विस कराने का निर्देश आवेदक को दिया गया।

हस्ताक्षर

12/12/17 विपक्षी के एक अदद आवेदन के साथ उपस्थित

तत्कालीन न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथियों में

लगातार अनुपस्थित रहने एवं पास में रुचि नहीं

लेने के फलस्वरूप अग्रेतर कार्यवाही

बंद किया जाता है

हस्ताक्षर

12.12.17